



सूचना प्राप्त करने का आवेदन-पत्र

मूल वाद..... T2022/440300/91329

अपील संख्या..... सन् 2023 सम्बन्ध में जो पुर्ननिरीक्षण.....

— 34 जिलाधिकारी जालपाय तार

..... न्यायालय में विचाराधीन है।

— श्रीमान राम

बनाम

— तार

प्रार्थी निम्नलिखित प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना चाहता है:-

प्रश्न	उत्तर
<p>श्रीमान राम बनाम तार</p> <p>में श्रीमान जी का 80 का</p> <p>हुकूमत पानी है 10000</p> <p>उत्तर देने की कृप करें</p>	<p>श्रीमान जी,</p> <p>जी हाँ</p>

दिनांक- 25/07/2023

उत्तर देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

BB30/10

पक्ष या वकील का हस्ताक्षर

[Handwritten signature]

**उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार / तहसीलदार
की आख्या का प्रारूप (तहसील सदर वाराणसी)**

महोदय, श्री शंकराशुभ्रशंकरशुभ्र पुत्र श्री शंकराशुभ्र निवासी इरडुका परगना
व तहसील सदर जिला वाराणसी के अन्तर्गत प्रस्तुत धारा 80 उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के
प्रार्थना पत्र के कम में क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक के साथ स्थलीय व अभिलेखीय जॉच
की गयी, जिसके आधार पर स्थलीय जॉच आख्या निम्नवत है।

1. ग्राम इरडुका की खतौनी वर्ष 1429 से 1434 फ० के खाता
संख्या 346 गाटा संख्या 376 पर आवेदक का नाम अभिलेखों में
बतौर संकमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि के 0.5430
पर 0.2715 निर्माण किया गया है तथा कृषि कार्य नहीं किया जाता है। भूमि
पूर्णतया अकृषिक है।
2. गाटा संख्या 376 रकबा 0.2715 पर आवेदक/आवेदिका का दुकान
(संख्या लिखें)/ (किस रूप में निर्माण है व कितने रकबे पर है स्पष्ट लिख जाय।)
बनाकर निर्माण किया गया है।
3. उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कुक्कुट पालन/मुर्गी पालन का व्यवसाय नहीं किया जा
रहा है।
4. उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा पूर्ण रूप से
व्यवसायिक/आवासीय प्रयोग में लाया जा रहा है।
5. उक्त भूमि आवेदक को आवंटन से नहीं प्राप्त हुई है।
6. उक्त भूमि गाटा संख्या 376 रकबा 0.2715 आवेदक/आवेदक की पैतृक
भूमि है अथवा बैनामा से प्राप्त हुयी है। (स्पष्ट उल्लेख किया जाय एवं बैनामे की प्रति
के साथ-साथ 41 व 45 संलग्न किया जाय।)
7. उक्त भूमि सुरक्षित भूमि नहीं है तथा ग्राम सभा व धारा 77 से बाधित नहीं है व
सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना
व महायोजना के अन्तर्गत नहीं है।
8. उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिग्रहीत भूमि नहीं है या कोई मुआवजा नहीं लिया
गया है।
9. उक्त भूमि विकास प्राधिकरण में अथवा किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नहीं
है।

उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 में धारा 80 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार जिलाधिकारी महोदय
द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार विवादित भूमि का मुल्यांकन 14000/वर्ग मी०
की दर से 3,90,000/- रु/- होता है, जिसका एक प्रतिशत 3,90,000/-
रु/- उद्घोषणा शुल्क होता है। महानिरीक्षक निबन्धक महोदय के आदेश के कम में उद्घोषणा
शुल्क के अतिरिक्त रु/- कोर्ट फीस स्टाम्प भी देय है।

अतः शंकराशुभ्रशंकरशुभ्र पुत्र श्री शंकराशुभ्र निवासी इरडुका
परगना इ. अ. अ. अ. तहसील सदर जिला वाराणसी के द्वारा ग्राम इरडुका
परगना इ. अ. अ. अ. तहसील सदर जिला वाराणसी की खाता संख्या 346
की गाटा संख्या परगना 376 भूमि में 0.2715 हे. अकृषिक प्रयोग
किया जा रहा है। जिस आधार पर अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या सादर संस्तुति
सहित प्रेषित है।

संलग्नक: आख्या व नजरी नक्शा एवं स्थल की फोटो।

राजस्व निरीक्षक सम्भार
तहसील सदर वाराणसी

नायब तहसीलदार.....

तहसील सदर जनपद

वाराणसी

नायब तहसीलदार शहर
तहसील सदर-वाराणसी

30/06/23
23/6/23

98

1198